

RL ISSUE  
Fail  
24/10/2013

RBS No. 09/2013

भारत सरकार BHARAT SARKAR  
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS  
रेलवे बोर्ड RAILWAY BOARD

No. 2003/RS(G)/779/9

New Delhi, dated 23.10.2013

The General Manager, All Indian Railways & PUs including NF(C)  
The General Manager, CORE, Allahabad  
The General Manager, Metro Railway, Kolkata  
The Director General, RDSO, Lucknow & Railway Staff College, Vadodara  
CAO/Workshop Projects organization, Patna  
CAO/DMW, Patiala and COFMOW, New Delhi  
CAO/RCF/RBL/Old TA Building, Kishan Ganj, New Delhi.  
CAO, RWP, Bela

**Sub:** Methodology to calculate Liquidated Damages for the delayed supplies in stores contracts.

**Ref:** Board's letter No. 2013/RS(G)/779/9 dated 4.3.2008


Method of imposition of Liquidated Damages for the delayed supplies in stores contracts is examined in Board's office in one of the case of Southern Railway where original DP was 24.12.09 and it was extended further to 5.3.10 with full LD.

With respect to LD, the Board letter dated 4.3.2008 talks about LD @ 2%..... as extended for each month or part of a month during which the delivery of stores may be in arrears. The stipulation is "2% each month or part of a month" and not "2% each calendar month or part thereof". In this connection, it is clarified that correct method to calculate LD in the extended period will be as under:

24.12.09 to 23.1.10	- 2% LD
24.01.10 to 23.02.10	- 2% LD
24.02.10 to 05.03.10	- 2% LD
Total:	- 6% LD

This is issued with the concurrence of Finance Dte. of Ministry of Railways.

(This disposes off Southern Railway's letter No. S.236/S/PER/SF/Policy dated 31.5.2013)



*Santosh Mittal*  
(Santosh Mittal)  
Dy. Director Railway Stores (G)  
Railway Board

No. 2003/RS(G)/779/9

New Delhi, dated 23.10.2013

Copy to:

1. FA&CAOs, All Indian Railways & Production Units
2. PCEs, All Indian Railways & PUs, WPO/Patna, RCF/RBL, COFMOW, DMW, RWP/Bela
3. CMEs, CEEs, CSTE, CMDs All Indian Railways & Production Units

4. The ADAI(Railways), New Delhi (with 10 spares copies)
5. The Director of Audit, All Indian Railways

*AM*

For Financial Commissioner/Railways

No. 2003/RS(G)/779/9

New Delhi, dated 23.10.2013

**Copy to:**

1. The COSs, All Indian Railways & PUs including NF(C)
2. The COS, Metro Railway, Kolkata
3. The COS, COFMOW, New Delhi
4. The COS, CORE, Allahabad
5. CMM/RCF/RBL, Kishanganj, Delhi
6. COS, Workshops Project Organisation, Patna
7. The Directors-
  - i. Indian Railway Institute of Sig. Engg. & Telecom, Secunderabad
  - ii. Indian Railway Institute of Mech. & Elec. Engg., Jamalpur
  - iii. Indian Railway Institute of Elect. Engg., Nasik
  - iv. Sr. Prof. (Material Management), Railway Staff College, Vadodara
  - v. Indian Railway Institute of Civil Engg., Pune
  - vi. Indian Railway Institute of Logistics & Materials Management, IDA House, Sector IV, R.K.Puram, New Delhi
8. Chairman, Railway Rates Tribunal, Chennai.
9. Director, Iron & Steel, 3, Koila Ghat Street, Kolkata
10. Executive Director (Stores), RDSO, Manak Nagar, Lucknow
11. Chief Commissioner, Railway Safety, Lucknow
12. Zonal Railway Training Institute, Sukuadia Circle, Udaipur-313004

*Santosh Mittal*  
(Santosh Mittal)

Dy. Director Railway Stores (G)  
Railway Board

No. 2003/RS(G)/779/9

New Delhi, dated 23.10.2013

**Copy to:**

1. The General Secretary, AIRF, 4 State Entry Road, New Delhi.
2. The General Secretary, NFIR, 3 Chelmsford Road, New Delhi.
3. The Secretary General, IRPOF, Room No. 268, Rail Bhavan, New Delhi
4. The Secretary General, FROA, Room No. 256-D, Rail Bhavan, New Delhi.
5. The Secretary General, AIRPFA, Room No. 256-D, Rail Bhavan, New Delhi

*Santosh Mittal*  
(Santosh Mittal)

Dy. Director Railway Stores (G)  
Railway Board

**Copy to:- Sr. PPSs / PPS / PS to:**

- (i) MR, MOS(R)(A), MOS(R)(K)
- (ii) CRB, FC, ME, ML, MM, MS, MT, SECY., DG (RHS), DG (RPF)
- (iii) All AMs and Advisors of Railway Board
- (iv) All Executive Directors of Railway Board
- (v) All Directors of Elect., Engg., Finance, Mech., Stores, Signal & Telecom Dte. &
- (vi) All Branches of Elect., Engg., Finance, Mechanical, Stores, Signal & Telecom Dte.

*23/10*

आरबीएस सं. 09/2013

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. 2003/आरएस(जी)/779/9

नई दिल्ली, दिनांक 23.10.2013

महाप्रबंधक, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, पूर्वोत्तर सीमा(निर्माण) सहित ।

महाप्रबंधक, कोर, इलाहाबाद।

महाप्रबंधक, मेट्रो रेलवे, कोलकाता।

महानिदेशक, अ.अ.मा.स. लखनऊ एवं रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ वर्कशाप परियोजना संगठन, पटना।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ डीज़ल आधुनिकीकरण कारखाना, पटियाला एवं कॉफमो, नई दिल्ली।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/ रेल कोच फैक्टरी/आरबीएल/पुरानी टी ए बिल्डिंग, किशन गंज, नई दिल्ली।

**विषय:-** भंडार संविदाओं में विलंब से की गई सप्लाई के लिए परिनिर्धारित नुकसानी परिकलित करने की कार्य-पद्धति।

**संदर्भ:-** बोर्ड का दिनांक 4.3.2008 का पत्र संख्या 2013/आरएस(जी)/779/9.

भंडार संविदाओं में विलंब से की गई सप्लाई के लिए परिनिर्धारित नुकसानी लगाने की विधि की जांच बोर्ड कार्यालय में दक्षिण रेलवे के एक मामले में की गई, जिसकी मूल सुपुर्दगी अवधि 24.12.2009 थी और यह पूर्ण परिनिर्धारित नुकसानी के साथ 5.3.2010 तक बढ़ाई गई थी।

परिनिर्धारित नुकसानी के संबंध में, बोर्ड के दिनांक 4.3.2008 के पत्र में प्रत्येक माह अथवा माह के भाग, जिसके दौरान बकाया भंडार की सुपुर्दगी की जाए, के लिए 2% ..... की दर से परिनिर्धारित नुकसानी का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान "प्रत्येक माह अथवा माह के भाग के लिए 2%" है न कि "प्रत्येक कैलेंडर माह अथवा उसके भाग के लिए 2% है"। इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि बढ़ाई गई अवधि में परिनिर्धारित नुकसानी परिकलित करने की सही विधि निम्नानुसार होगी:-

24.12.09 से 23.01.10 -	2% परिनिर्धारित नुकसानी
24.01.10 से 23.02.10 -	2% परिनिर्धारित नुकसानी
24.02.10 से 05.03.10 -	2% परिनिर्धारित नुकसानी
कुल:	- 6% परिनिर्धारित नुकसानी

इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जाती है।

(इससे दक्षिण रेलवे के दिनांक 31.5.2013 के पत्र सं. एस.236/एस/पीईआर/एसएफ/पॉलिसी का निपटान हो जाता है)

*संतोष मिश्रा*

(संतोष मिश्रा)

उप निदेशक रेलवे भंडार (जी)।

रेलवे बोर्ड

सं. 2003/आरएस(जी)/779/9

नई दिल्ली, दिनांक 23.10.2013

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां ।
2. पीसीई, सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, डब्ल्यूपीओ/पटना, आरसीएफ/रायबरेली, कॉफमो, डीएमडब्ल्यू, आडब्ल्यूपी/बेला।
3. सीएमई, सीईई, सीएसटीई, सीएमडी सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

4. एडीएआई (रेलें), नई दिल्ली (10 अतिरिक्त प्रतियों सहित)
5. निदेशक, लेखा परीक्षा, सभी भारतीय रेलें।

अशोक

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

सं. 2003/आरएस(जी)/779/9

नई दिल्ली, दिनांक 23.10.2013

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. सीओएस/सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां, पूर्वोत्तर सीमा (निर्माण) सहित ।
2. सीओएस/मेट्रो रेल कोलकाता ।
3. सीओएस/ कॉफमो, नई दिल्ली।
4. सीओएस/ कोर, इलाहाबाद।
5. सीएमएम/आरसीएफ/आरबीएल, किशनगंज, दिल्ली।
6. सीओएस/वर्कशॉप परियोजना संगठन, पटना।
7. निदेशक-
  - क. भारतीय रेल सिग्नल इंजीनियरी एवं दूरसंचार संस्थान, सिंकदराबाद।
  - ख. भारतीय रेल यांत्रिक एवं बिजली इंजीनियरी संस्थान, जमालपुर।
  - ग. भारतीय रेल बिजली इंजीनियरी संस्थान, नासिक
  - घ. वरिष्ठ प्रो. ( सामग्री प्रबंधन), रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
  - ड. भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी संस्थान, पुणे।
  - च. भारतीय रेल लॉजिस्टिक एवं सामग्री प्रबंधन, आईडीए हाउस, सेक्टर-4, आर.के.पुरम, नई दिल्ली।
8. अध्यक्ष, रेल दर अधिकरण, चैन्नई ।
9. निदेशक, लोह एवं इस्पात, 3, कोयला घाट स्ट्रीट, कोलकाता।
10. कार्यपालक निदेशक (भंडार), अ.अ.मा.सं., मानक नगर, लखनऊ।
11. मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त, लखनऊ।
12. क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान, सुखाडिया सर्किल, उदयपुर- 313004

संतोष मित्तल

(संतोष मित्तल)

उप निदेशक रेलवे भंडार (जी)।

रेलवे बोर्ड

सं. 2003/आरएस(जी)/779/9

नई दिल्ली, दिनांक 23.10.2013

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. महासचिव, एआईआरफ, 4 स्टेट एंटी रोड, नई दिल्ली।
2. महासचिव, एनएफआईआर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
3. महासचिव, इरपोफ, कमरा नं. 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
4. महासचिव, फ्रोआ, कमरा नं. 256-डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
5. महासचिव, एआईआरपीएफए, कमरा नं. 256 डी, रेल भवन, नई दिल्ली।

संतोष मित्तल

(संतोष मित्तल)

उप निदेशक रेलवे भंडार (जी)।

रेलवे बोर्ड